[श्री सु० च० देव]

मेरा यह भी सुझाव है कि हमें रंगून पर एक पत्तन का विकास करना चाहिये तथा त्रिपुरा आसाम और मनीपुर से गुज़रता हुआ एक मार्ग बनाना चाहिये। ताकि सुरक्षा के संबंध में क्रियाकारी कार्यवाही हो सके।

†**श्री ले० जो० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): जानकारी के प्रश्न पर। मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि उनके यह कहने से पहिले कि ये क्षेत्र आसाम में मिला देने चाहिये, आसाम को पहिले नागा पहाड़ियों में हो रहे दंगों पर नियंत्रण करना चाहिये। जब आसाम नागा पहाड़ियों के दंगे फसाद पर ही नियंत्रण नहीं कर सकता तो वह राज्य त्रिपुरा तथा मनीपुर में अपने उत्तर-दायित्व को कैसे निभा सकेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्ताह पूर्व आज के दिन विदेश यात्रा से दिल्ली वापिस आया था। इस यात्रा में मैं पश्चिम के बहुत से देशों और बड़े नगरों में गया तथा वहां के प्रमुख व्यक्तियों से मिला, मैंने वहां चल रहे महान आन्दोलनों, वहां के लोगों के विचारों तथा वहां हुए परिवर्तनों को समझने की कोशिश की। इससे भी अधिक मैंने यह समझने की कोशिश की कि यूरोप के जिन लोगों से मैं मिला, उनके दिमागों में भारत के बारे में कैसे विचार हैं।

स्वाभाविक है कि यह जानने में मेरी दिलचस्पी थी, क्योंकि यह देखते हुए भी कि यूरोप में कुछ ऐतिहासिक महत्व की घटनायें हो रही हैं, मैं यह जानना चाहता था कि यहां हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका वहां लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। मैंने देखा कि उन्हें भारत में जो हो रहा है उसमें बहुत दिलचस्पी है। वे महसूस करते हैं कि यहां जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है उससे केवल भारत का ही रूप नहीं बदल जायेगा अपितु उसका प्रभाव अन्य देशों व अन्य महाद्वीपों पर भी पड़ेगा। तब मुझे उस काम का जो हम यहां भारत में करते हैं, उस महान् समस्या का जो हमारे सामने है, और भारत की इस संसद के महान् उत्तरदायित्व का ख्याल आया। भारत का इतिहास बनने की जिम्मेदारी वास्तव में भारत की इस संसद पर है।

एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते समय दूसरा विचार मेरे दिमाग में यह आया कि प्राचीन सीमाओं का महत्व उत्तरोत्तर कितना कम हो गया है। एक या दो घंटे में ही मैं एक देश की राजधानी से दूसरे देश की राजधानी में पहुंच गया। वहां भी बहुत सी समस्यायें और झगड़े हैं, परन्तु आधु-निक संसार में राष्ट्रीय सीमाओं का महत्व निम्नतर निम्न हो गया है।

यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि यहां हम राष्ट्रों की सीमाओं पर नहीं अपितु राष्ट्र के भीतर जो राज्यों या प्रदेशों की सीमाओं पर काफी गरमागरमी से विचार कर रहे हैं। यदि राष्ट्र की सीमाओं का महत्व पहले से घट रहा है और कुछ वर्ष बाद कुछ मामलों में उन्हें बिलकुल भुला दिया जायेगा, तब राज्य सीमाओं की समस्या जिन पर हम विचार कर रहे हैं, कितनी कम महत्वपूर्ण है। मैं उनके महत्व को नहीं घटा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभा इस पर उपयुक्त दृष्टिकोण से विचार करे। हम वाद-विवाद की गर्मी में इस दृष्टिकोण को भूल सकते हैं मैं जानता हूं कि इस प्रश्न इस विधेयक तथा उसकी व्यवस्थाओं से लोग बहुत अधिक विचलित हो गये हैं। अब भी इनके सम्बन्ध में उनके गहरी भावना हैं। मेरे विचार से सर्वोत्तम हल से भी, चाहे वह कुछ भी हो सब लोग को सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता है।

जहां तक मेरा अर्थात् सरकार का सम्बन्ध है, हमारे लिये इस बात का कोई महत्व नहीं है कि भारत का कौन सा भाग किस राज्य में जाता है। निःसंदेह विभिन्न दृष्टिकोणों से जो वांछनीय हों, हमें वही करना चाहिये ; किन्तु अन्तिम रूप से जांच पड़ताल करने से सरकार के दृष्टिकोण से इस संबंध में कोई अन्तर नहीं आता है कि अमुक भाग किस राज्य में सम्मिलित है। भले ही व्यक्ति तथा राज्य के दृष्टिकोण से इसमें कुछ महत्व हो, मै इससे इन्कार नहीं करता हूं।

---

† मूल अंग्रेजी में।

इसलिये भारत सरकार ने इस प्रश्न पर निरपेक्ष रूप से विचार किया तथा वह किसी विशेष निर्णय को थोपना नहीं चाहती है। हमसे यह कहा गया है कि हमने परामर्श और निर्णय इत्यादि का उपयुक्त तरीका नहीं अपनाया। किन्तु यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि पिछले सात या आठ महीनों में क्या हुआ, तो वह यह अवश्य जानता है कि इस मामले में जितने परामर्श और चर्चायें हुई हैं उनका कोई मिसाल नहीं है। बल्कि कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि हमने परामश इत्यादि करने में अति कर दी है तथापि यदि हम उन सैकड़ों और हजारो लोगों से परामर्श न करते तो यह भ्रांति पैदा न होती और मामला अधिक सरल बना रहता। वस्तुतः यह सच है कि इस समस्या ने लोगों के ध्यान को बहुत आकर्षित किया है। लेकिन मैं सभा को यह बतलाना चाहता हूं कि सर्व-प्रथम उन्हें इस मामले को उचित दृष्टिकोण से देखना चाहिये अन्यथा हम इस दृष्टिकोण को भूलकर भावावेश में बह जायेंगे। दूसरे हमें यह याद रखना चाहिये कि सीमाओं का प्रश्न चाहे कितना ही महत्वपूर्ण हो वस्तुतः वे देश के अन्दर प्रशासनिक विभाग हैं। तीसरे भले ही हम आज कुछ भी निर्णय करें हमें भविष्य में अपने निर्णयों को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है।

मैं जानता हूं कि निर्णयों का करना, तथा प्रतिदिन उन्हें बदलना कोई नहीं चाहता है। यह एक अलग बात है, किन्तु इस अर्थ में कि कोई निर्णय अन्तिम नहीं है कि भविष्य में बदला नहीं जा सकता।

हमारी कठिनाई यह रही है कि हमने विरोधी दृष्टिकोणों में सन्तुलन करने, कोई बीच का रास्ता निकालने तथा यथासम्भव समझौता कराने का प्रयत्न किया है। निःसंदेह ऐसा करने में कई व्यक्ति असंतुष्ट हो गये हैं, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाऊंगा कि इस जटिल प्रश्न पर, जिससे सारा भारत सम्बन्धित है सामान्यतः भारत के अधिकांश भागों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। यह सच है कि कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभी हल होना शेष रह गया है। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बम्बई और महाराष्ट्र का है।

मैंने यह अनुभव किया है कि—तथा मैं ऐसा आदरपूर्वक ऐसा कह रहा हूं—इन प्रश्नों पर लोगों का दृष्टिकोण कटु शब्दों, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यंगों तथा एक या दूसरे पक्ष अथवा समुदाय को नीचा दिखाने से बहुत कुछ बिगड़ गया है। ऐसा बम्बई के सम्बन्ध में ही नहीं हुआ है अपितु बंगाल बिहार तथा अन्य स्थानों के सम्बन्ध में भी हुआ है। मैं सभा से यह अनुरोध करता हूं कि क्या ऐसी बातों, तथा देश के किसी भाग में किसी प्रांत अथवा समुदाय को नीचा दिखाने, अथवा देश के किसी भाग को अधिक साहसी स्वतंत्रताप्रिय अथवा अधिक राष्ट्रवादी इत्यादि कहने से समस्या के हल में जरा भी सहायता मिलती है। हम सभी यहां भारत के किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गये सदस्य हैं। स्वभावतः ही हम उस निर्वाचन क्षेत्र में रूचि रखते हैं, लेकिन यहां हम कुछ और भी हैं। मैं यहां इलाहाबाद जिले के पूर्वी भाग का सदस्य नहीं हूं, मैं यहां अपने को भारत का सदस्य मानता हूं। मेरा कहना है कि संसद् का प्रत्येक सदस्य समूचे भारत का सदस्य है। हम किसी स्थानीय नगरपालिका अथवा जिला बोर्ड के सदस्य नहीं हैं कि हम सारे भारत के हित को भूल कर उस विशेष क्षेत्र के हितों पर ही विचार करें। हमें प्रत्येक प्रश्न पर सारे देश का ध्यान रखकर विचार करना है। मैं इलाहाबाद जिले का प्रधान मंत्री नहीं हूं। मैं इस सभा के सौजन्य से भारत का प्रधान मंत्री हूं और मुझे भारत के हितों पर ध्यान रखकर विचार करना है। मैं गलती कर सकता हूं। निःसंदेह मैं गलतियां करता हूं परन्तु सभी लोग गलतियां करते हैं। किन्तु जब हम एक दूसरे की सत्यता को चुनौती देने लगते हैं, तब किसी समस्या पर, उसके गुणावगुणों के आधार पर चर्चा करना जरा कठिन हो जाता है।

हमें इन समस्याओं पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि यदि हमारी अनिच्छा से भी कोई निर्णय किया जाय उससे कोई अन्तर नहीं आयेगा क्योंकि यदि कोई गलती हो भी गई तो तदुपरांत उसका उपचार किया जा सकता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि इस समस्या पर गलत विचार किया जाय अर्थवा गलत दृष्टिकोण अपनाया जाय तथा शत्रुता का वातावरण पैदा किया जाय जो कि देश के विकास के लिये हानिकर है। यह बुनियादी दृष्टिकोण है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कुछ सदस्य यह कह सकते हैं कि हो सकता है कि यह सब कुछ ठीक हो, आपके इरादे अच्छे हों, लेकिन आपके अभिप्राय हमें कहां पहुंचायें गे ?. यह बिलकुल सच है कि हम एक उलझन में फंस गये हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं तथा प्रधान मंत्री की हैसियत से तथा अन्य प्रकार से भी मैं उसके लिये आंशिक रूप से जिम्मेदार हूं। मैं इस दायित्व से भागना नहीं चाहता हूं। प्रायः ऐसा होता है कि एक कठिनाई से बच कर निकलने पर हम दूसरी कठिनाई में फंस जाते हैं। अस्तु स्थिति आपके सामने है।

मैं इन आठ महीनों की चर्चा तथा विचार के इतिहास को नही बताना चाहता किन्तु अब हम एक स्थिति पर पहुंच चुके हैं और हमें उस चित्र को यथार्थ रूप में देखना है। कई चीजें हो सकती थी यथा वृहत्तर द्विभाषी राज्य तथा अन्य भी कई बातें हो सकती थीं। वे बाद में भी हो सकती हैं। मैं इस मार्ग को बन्द नहीं कर रहा हूं। किन्तु हम वस्तुतः उस समय सहकारी प्रयत्नों के वातावरण को बढ़ाने तथा बनाये रखने के लिये क्या कर सकते हैं। हम जो भी निर्णय करें--निर्णय से कुछ लोग प्रसन्न हो सकते हैं कुछ लोग अप्रसन्न--निर्णय सही भी हो सकता ह और गलत भी--मुख्य वस्तु यह है कि उसके परिणाम स्वरूप कितना सौहाद्र और विद्वेष फैलता है। यह मुख्य बात है।

बम्बई और महाराष्ट्र के मामले में कई बार हमने अपने पहिले निर्णयों को बदला। प्रत्येक बार जब हमने अपना निर्णय बदला--मैं पहली स्थितियों की बात कह रहा हूं--हमें एक नई कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमने ऐसा अपने आदरणीय सहयोगियों के सुझाव पर किया तब उन्होंने स्वयं ही अपना निर्णय बदल दिया। अन्त में हम इस निष्कर्ष पर आ पहुंचे कि प्रथम निर्णय को बदलने का कोई प्रयत्न करने से स्थिति पहिले से भी खराब हो जाती। माननीय सदस्य श्री देशमुख ने कहा कि वे वर्तमान स्थिति की अपेक्षा नगर राज्य बनाने का सिद्धांत अधिक पसन्द करेंगे। हमने ऐसा ही किया और हमारा पहिला निर्णय यही था तथा माननीय सदस्य को यह स्मरण होगा कि एक अवसर पर उन्होंने केवल अपनी ओर से ही नहीं अपितु दूसरों की ओर से भी दायित्वपूर्ण तथा अधिकार पूर्वक यह कहा था कि हमें नगर राज्य का सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिये। हमने उसे स्वीकार कर लिया यद्यपि हम किसी अन्य निर्णय पर पहुंचे थे तथापि हम उन्हें संतुष्ट रखना चाहते थे ; किन्तु ४८ घंटे भी व्यतीत न हुए थे कि हमसे कहा गया नही, हम उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिये किसी ऐसे निर्णय पर पहुंचने की चिन्ता में, जिसमें सर्वाधिक सहमति और समझौता हो हमने दूसरा निर्णय किया।

माननीय सदस्य ने उन दो महत्वपूर्ण निर्णयों का जिक्र किया है जो कि बिना किसी परामर्श से किये गये। मैं वस्तूतः इस मामले में कठिनाई में पड़ गया हूं क्योंकि सचमुच में उनकी बात को बिलकुल नहीं समझ पाया। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये तथ्य कहां से लिये हैं। मैंने अपने पत्र इत्यादि, मन्त्री मंडल के अभिलेखों तथा प्रत्येक वस्तु को देखा है। दो निर्णय हुए हैं। मैं इस समय अपने बम्बई के वक्तव्य की बात नहीं कर रहा हूं। पहिला निर्णय सारे मंत्री मंडल में समस्त सहयोगियों तथा प्रत्येक व्यक्ति के परामर्श से किया गया है। मुझे इस संबंध में कोई शंका नहीं है। अन्त में मैं कहता हूं कि आप बीच की स्थितियां छोड़ दीजिये--यह विधेयक मंत्री मंडल के सम्मुख रखा गया था। विधेयक में यह लिखा गया है तथा इस सभा में आने के पूर्व मंत्री मंडल ने इसे स्वीकार किया। यह सामान्य प्रक्रिया है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार इन सब बातों को भुला कर यह कहा गया है कि यह निर्णय बिना परामर्श के किया गया है। मेरे प्रधान मंत्री होने के बाद से इस विषय पर सबसे अधिक परामर्श हुआ है।

यह बात कि मैंने कौन सी ग़लतियां कीं अथवा मेरे बारे में क्या कहा गया, बहुत मामूली हैं। श्री देशमुख ने यह कहने की कृपा की है कि जब उन्होंने 'द्वेष' शब्द का प्रयोग किया था तो उनका निर्देश मेरी ओर नहीं था। मैं उन्हें इस वक्तव्य के लिये धन्यवाद देता हूं किन्तु यह एक साधारण बात है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिये, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सरकार की

कार्यप्रणाली क्या है अथवा हम मंत्री मंडल भारत सरकार, तथा संसद् इत्यादि में कौन सी कार्यप्रणाली अपनाते हैं। यह साधारण बात नहीं है। विचारणीय बात यह है कि क्या हम गलत तरीका अपना रहे हैं क्या हम सबके ऊपर हावी हो रहे हैं और संसद्, सरकार तथा देश के ऊपर अपनी, अथवा किसी एक व्यक्ति अथवा समिति की इच्छायें थोप रहे हैं ?

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह समस्त राज्य पुनर्गठन विधेयक से भी अधिक महत्वपूर्ण बात है। यदि हम गलती करेंगे तो हम काम किस प्रकार करेंगे। माननीय सदस्य ने हम पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उसका उत्तर देना तथा अपने आचरण को न्यायोचित ठहराना सरल नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह आरोप लगाते समय उन्होंने अपने मंत्री मंडल के सहयोगियों तथा स्वयं अपने साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने इस मंत्रीमंडल में ६ वर्ष या उससे भी अधिक समय तक काम किया तथा वह हमारे प्रतिष्ठित एवं आदरणीय व्यक्ति रहे हैं। ६ वर्ष तक एक साथ कार्य करने के पश्चात् उन्होंने अपने सहयोगियों पर यह आरोप लगाया है भले ही मैं इस आरोप के लिये जिम्मेदार या दोषी हूं तथापि मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरे जिम्मेदार सहयोगियों पर बहुत अन्यायपूर्ण आरोप है।

तत्पश्चात् मेरे द्वारा बम्बई में दिये गये वक्तव्य का प्रश्न है। अब देखना यह है कि मेरे द्वारा बम्बई में दिया गया वक्तव्य अथवा महत्वपूर्ण निर्णय क्या था ? मैंने अमृतसर कांग्रेस तथा अन्य स्थानों में भी बार वार कहा था कि—यह वक्तव्य कई बार दिया गया था—कि बम्बई को प्रजातंत्रात्मक प्रणाली से यह निर्णय करने का अवसर दिया जायेगा कि उसे क्या करना चाहिये किस राज्य में जाना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से मैं बम्बई के महाराष्ट्र में जाने पर बहुत प्रसन्न होऊंगा। मैं उसके जरा भी विरोध में नहीं हूं तथा मैं सभा में यह स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि बम्बई को महाराष्ट्र में शामिल करने के पक्ष में कई ठोस और वैध तर्क हैं। किन्तु साथ ही दूसरे पक्ष की ओर के वैध तर्कों पर भी विचार किया जाना चाहिये। ऐसे अकठिन अवसर पर हमने तथा हममें से कई लोगों ने यही सोचा कि सर्वोत्तम तरीका बम्बई को स्वयं निर्णय करने देने का है। यह अब भी किया जा सकता था किन्तु जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं कि इतनी उत्तेजना फैला दी गई है कि अभी इसका निर्णय करने का ठीक समय नहीं आया है। स्थिति शांत होने दीजिये। मैंने बार बार कहा है "सामान्य स्थिति आने पर वे स्वयं इसका निर्णय करेंगे।" मेरे कहने का तात्पर्य स्वभावतः ही यह नहीं है कि वहां जन निर्देश या जनमत संग्रह होगा किन्तु मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि वातावरण अच्छा हो जाने पर इस मामले का निपटारा इस भारी भरकम तरीके से कहीं आसान होगा मैं इसी बात की आशा कर रहा था और अब भी कर रहा हूं। मेरे विचार से बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय अथवा घोषणा नहीं कर रहा था। मैं केवल वही बात कर रहा था जो कि मैं कई बार कह चुका था—अन्त में मैं भी तो कुछ हूं ; मैं भारत का प्रधान मंत्री हूं। प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री है वह अपनी सरकार की नीति बना सकता है भले ही उसे रद्द कर दिया जाय या कुछ भी हो। मुझे प्रजातंत्रीय अथवा दल विशेष की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ मालूम हैं। मैं प्रधान मंत्री के कर्तव्य को समझता हूं तथा हमारे और इंगलैंड के संविधान प्रधान मंत्री सरकार रूपी पहिये का धुर्रा होता है। यह कहना कि प्रधान मंत्री ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता स्वयं ही एक बहुत गलत वक्तव्य है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने प्रजातंत्र के बारे में तथा भारत और इगलैंड के संविधान के अन्तर्गत प्रधान मंत्री क्या है और वे क्या कर सकते हैं इत्यादि का सबक कहां पढ़ा है। मैं प्रधान मंत्री से अधिक कुछ हूं। हम भारतीय क्रांति की उपज हैं। भले ही हम यहां शांत रहें और जो कुछ पहिले कर चुके हैं उसे भूल जायें तथापि हमारे हृदय में अब भी क्रांति की ज्वाला है।

मैं यह कह सकता हूं कि हममें से बहुत से लोग भारतीय गरीब जनता तथा किसानों के सम्बन्ध में उन लोगों से अधिक जानते हैं जो किसानों के सम्बन्ध में बातें बघारते हैं हमने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग इन गरीब किसानों या गरीब जनता के साथ बिताया है इसलिये किसी व्यक्ति को हमारे दल अथवा सरकार के सम्बन्ध में पूंजीपति शब्दों आदि का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैंने बम्बई में यह आश्वासन देने के लिये कि यही अन्तिम निर्णय नहीं है एक साधारण सा वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में तो मैंने केवल यही कहा था कि वहां पर पहले शांति स्थापित होने दो और फिर बाद में इस समस्या को शांतिपूर्वक हल कर लिया जायेगा। मुझे इस बात की कुछ भी परवाह नहीं है कि बाद में वह निर्णय कैसा भी हो। मैं तो महाराष्ट्र के हित का भी समर्थन करने के लिये तैयार हूं। परन्तु यह जो कहा गया है कि मेरे मन में 'द्वेष भाव' है यह बड़ा कठोर शब्द है। महाराष्ट्रीयों के प्रति मेरे मन में कोई भी उपेक्षा का ख्याल नहीं है। मैं इस प्रश्न को काफी महत्व देता हूं और चाहता हूं कि इस प्रश्न को शांतिपूर्वक वातावरण में हल किया जाये ताकि बाद में कोई सिर दरदी पैदा न हो जाये।

श्री पाटिल ने जो कुछ कहा है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत नहीं हूं। उनकी काफी बातों से तो मैं सहमत हूं परन्तु कुछ बातों से नहीं हूं। बात वास्तव में यह है कि यदि हम जोश में आकर कोई फैसला कर देंगे तो उसके परिणाम स्वरूप बाद मे जो सिर दरदी होगी उससे न तो महाराष्ट्र को कोई लाभ होगा, न बम्बई को और न ही देश को। निर्णय करने में वास्तव में सबसे बड़ी कठिनाई यही थी।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि ज्यों ज्यों मेरी आयु बढ़ती जाती है मैं यह अधिकाधिक अनुभव करता हूं कि किसी भी काम की अपेक्षा उस काम को करने का ढंग अधिक महत्वपूर्ण है। लक्ष्य की अपेक्षा उसके साधन अधिक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में हमारी कठिनाइयों का वास्तविक कारण यह नहीं था कि हमारा लक्ष्य महान् नहीं था,अपितु वह यह था कि उसके साधन उपयुक्त नहीं थे। और इसी लिये हमारे मार्ग में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं। इसमें मैं किसी और व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा, मैंने अपने आपको ही दोषी ठहराने के लिये तैयार हूं। परंतु वास्तविक बात यह है कि यदि हम गलत साधनों को अपनायेंगे तो उससे लक्ष्य भी कलंकित हो जायेगा। इसी कठिनाई के कारण मैं यह चाहता था कि इस प्रश्न पर शान्त के समय में विचार किया जाय। इसीलिये मैंने यही अच्छा समझा था कि इस निर्णय को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाये। यद्यपि मैंने पांच वर्षों की अवधि का उल्लेख किया है, परन्तु यह अवधि कोई निश्चित नहीं हो गयी है। उससे तो केवल यही अभिप्राय लेना चाहिये कि इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नही हो गया है, अपितु हम इसके बारे में आगे भी विचार करने के लिये सदा तैयार हैं और निकट भविष्य में जब भी अवसर मिलेगा, इस पर फिर से विचार कर लिया जायेगा। मैं तो यह समझता हूं कि मैंने तो महाराष्ट्र की सहायता के लिये हाथ बढ़ाया था, और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में वक्तव्य देने से पहले मैंने कई महाराष्ट्र के नेताओं तथा प्रमुख व्यक्तियों से इस संबंध में बातचीत की थी, और उन्हें मैंने अपनी कठिनाई बतायी थी। मैंने यह कहा था कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मामले के संबंध में भविष्य में भी बातचीत करने की गुंजाइश रहे। तब उन्होंने मुझे यह कहा था कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मे इस संबंध में एक वक्तव्य दूं। इसीलिये उस समिति में मैंने वह वक्तव्य दिया था।

इस वक्तव्य से यह अभिप्राय नहीं लेना चाहिये कि यह सरकार का या मंत्री मंडल का दृढ़ निर्णय है। वह तो केवल एक वक्तव्य था। मैं जानता हूं कि जब भी कोई प्रधान मंत्री कोई वक्तव्य देता है तो वह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य होता है। इसीलिये उस वक्तव्य में आगे भी सोच विचार करने के लिये द्वार खुले रखे गये हैं। बम्बई के बारे में दिये गये मेरे वक्तव्य को विधेयक में देखकर कुछ एक लोगों को, जो इस विधेयक को पसन्द नहीं करते, धक्का सा लगा है। उस धक्के को कम करने के लिये मुझे एक उपाय सूझा है, और उसके द्वारा थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है।

कुछेक लोगों ने एक बड़े द्विभाषी राज्य के बारे में सुझाव दिया है और मैं उसका स्वागत करता हूं। यदि बम्बई को एक नगर राज्य भी बना दिया जाये तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं आर्थिक तथा भौगोलिक दोनों कारणों पर विचार करने के लिये तैयार हूं। भौगोलिक कारण भी महत्वपूर्ण है परन्तु आज के युग में जब कि सफर करने के बड़े साधन उपलब्ध हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों व

भूगोल का अधिक महत्व नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण बात तो भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है जिसकी ओर आयोग ने भी संकेत किया है। आप एक भाषा-भाषी राज्यों का तो भाषा के आधार पर निर्णय कर सकते हैं परन्तु द्विभाषी राज्यों अथवा बहुभाषी राज्यों के बारे में आप क्या करेंगे ?

सभा को स्मरण होगा कि आयोग के प्रतिवेदन के अन्तिम अध्याय में भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में कई उपायों का सुझाव दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में सुरक्षा के उपाय निर्धारित किये जाये और उन्हें निश्चित कर लिया जाये। यह भय सच भी है क्योंकि मैं समझता हूं कि जहां भी भाषायी अल्पसंख्या होती है, वहां उसे संरक्षण नहीं दिया जाता है। हमें उस कठिनाई को भारत से पूर्ण रूपेण दूर कर देना है और उस बारे में केवल प्रतिज्ञा ही नहीं करनी, अपितु उस सम्बन्ध में उपयुक्त तथा उचित अनुदेश जारी करने हैं। यह तो सच है कि हम किसी भी बुराई से पूर्ण छुटकारा नहीं पा सकते, परन्तु फिर भी उस सम्बन्ध में हमें यथासम्भव प्रयत्न करना ही है। यदि ऐसा हो जाये तो तब फिर हम भाषा संबंधी कठिनाइयों से पूर्णतः मुक्त हो जायेंगे। वैसे तो यह बात हमारे संविधान में भी उपबंधित है परन्तु उसे कोई भी अनुभव नहीं करता।

मैं तो यही समझता हूं कि संविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में से सभी भाषायें हमारी राष्ट्र भाषायें हैं। जहां तक हिन्दी का संबंध है, इसे राष्ट्रभाषा इसलिये नहीं माना गया है कि वह सर्वोत्तम भाषा है, अपितु इसलिये कि वह भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। इसी कारण से और सुविधा की दृष्टि से ही हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा माना गया है। परन्तु वैसे तो सभी भाषायें राष्ट्र भाषायें हैं। हम चाहते हैं कि उन सभी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाये। यह दृष्टिकोण तो बिलकुल गलत है कि किसी एक भाषा का दमन करके दूसरी भाषा को प्रोत्साहित किया जाये। इस संबंध में मैं यह समझता हूं कि किसी भी न्यायालय को भजा गया किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र, अथवा आवेदन पत्र इन १४ भाषाओं में से किसी भाषा में भी लिखा जा सकता है और उसे कोई भी न्यायालय अस्वीकार नहीं कर सकता। हां यह तो सच है कि न्यायालयों को कुछ कठिनाइयां अवश्य होंगीं, क्योंकि उनके पास चौदहों भाषाओं के अनुवादक तो होते नहीं। परन्तु जहां तक दिल्ली के न्यायालय का सम्बन्ध है वे तो प्रत्येक भाषा में प्राप्त प्रत्येक पत्र का उत्तर देने में समर्थ हैं। हो सकता है कि इस काम में कुछ देर लग जाये परन्तु किसी भी पत्र को अस्वीकार नहीं किया जायेगा। ये सभी भाषायें हमारी राष्ट्र भाषायें हैं।

भारत की प्रत्येक भाषा को यह स्थान प्राप्त है तो किसी विशेष क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा की तो विशेषतः यह स्थिति है ---ऐसी स्थिति को स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये। निःसदेह उस क्षेत्र में उस भाषा विशेष को सरकारी भाषा समझा जाना चाहिये। सरकार तो जब भी कोई नोटिस आदि जारी करती है तो इस बात को सदा दृष्टि मे रखती है कि वहां के लोग उस नोटिस को अच्छी प्रकार से समझ सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि सभी नोटिस आदि वहां की स्थानीय भाषाओं में ही जारी किये जायें भले ही उसके समझने वाले की संख्या ६० या ४० प्रतिशत हो। इसमें प्रतिशतता का कोई विचार नहीं किया जाना चाहिये। केवल शर्त यह है कि उसे समझने वालों का संरक्षण काफी होना चाहिये।

मैंने अभी सीमान्त के बारे में उल्लेख किया है। आज संसार में महान औद्योगिक परिवर्तन हो रहे हैं। आज विज्ञान, प्रविधि तथा उद्योग के सम्मिलित कार्यों से संसार में महान तथा विस्मयकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उन सभी परिवर्तनों के सामने हमारी वर्तमान समस्यायें तो बिलकुल छोटी हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनका कोई महत्व नहीं है परन्तु उन पर विचार करते समय हम संसार में हो रहे उन सभी परिवर्तानों को भुला नहीं सकते। हमें देश तथा संसार में हो रहे सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिये। हम सभी लोग देश के एक महान तथा सुन्दर भविष्य के निर्माण के लिये उत्सुक हैं और उसके लिये प्रयत्न भी कर रहे हैं, हमने अपने भविष्य की आधारशिला रख दी है। परन्तु एक बात मैं अवश्य स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम भूतकाल को फिर से जन्म नहीं दे रहे हैं। आज दुनिया बदल रही है, और इसी लिये हमें भी एक विशाल दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। प्रांतीयता की भावना से न तो किसी प्रांत को विशेष लाभ होगा और न ही देश को।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जैसे मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ है और मेरे पूर्वजों का सम्बन्ध काश्मीर से है, परन्तु मैं तो सारे भारत को ही अपना समझता हूं । इसलिये ये शब्द कहना अत्यन्त निन्दनीय है कि एक प्रदेश के लोग वीर हैं और दूसरे के कमज़ोर । यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश मे प्रांतीयता तथा जातीयता की भावना इतनी फैल रही है । हम इन उलझनों में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं । आप जरा सोचें तो सही भारत में ऐसा कौन सा प्रांत है जिसकी भाषा और सांस्कृतिक परम्परायें महान् नहीं हैं। क्या तामिली, क्या कन्नड़ी, क्या मलयालमी-सभी सभ्यतायें, सांस्कृतिक परम्परायें तथा भाषायें महान् हैं । उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम सभी दिशाओं में जितने भी प्रांत हैं सभी की परम्परायें महान् हैं ।

मुझे वे सभी सांस्कृतियां परम्परा के रूप में प्राप्त हैं । यद्यपि मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है और वहां की प्राचीन संस्कृति को मैंने आत्मसात कर लिया है, परन्तु भारत भर की अन्य संस्कृतियां भी मेरी अपनी संस्कृतियां हैं ।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, हम जानते हैं कि उसका भारत के इतिहास में सैनिक, पांडित्य तथा साहित्यिक दृष्टि से विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम में कितना अधिक भाग लिया है । गुजरात और तामिल की भी वही स्थिति है । अतः उन राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं । आवश्यकता तो सीमान्त प्रदेश में बसे हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की है ।

जहां तक 'आदिम जातीय क्षेत्रों' का सम्बन्ध है, बड़े दुख की बात है कि उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि लोग उनकी हर प्रकार की सहायता तथा सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देते ।

नागा क्षेत्र में आजकल कुछ गड़बड़ है । जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं नागा लोगों का आदर करता हूं, वे भी भारत के बड़े अच्छे नागरिक हैं । मैं उन्हें अपना बनाना चाहता हूं, मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता । मैं यह समझता हूं कि वे अपने प्रशासनीय कार्यों को बहुत अच्छे प्रकार से चला सकते हैं । वह क्षेत्र भी भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है । अतः हम सारे भारत को एक संगठित देश समझते हैं और उसकी विभिन्न महान् परम्पराऐं हमारे जीवन में आत्मसात हो गयी हैं ।

हम भूगोल का बार बार नाम लेते हैं । परन्तु आज के युग में उसका अधिक महत्व नहीं है । पिछले कुछ वर्षों में यद्यपि हमारे देश में कुछ प्रांतीय भेद भाव रहे हैं, परन्तु फिर भी देश की राष्ट्रीय एकता आदि काल से चली आ रही है । इंडिया, भारत अथवा हिन्दुस्तान के नाम ही ने सारे देश को एक सूत्र में बांधे रखा है । परन्तु बड़े खेद की बात है कि पिछले कुछ मासों से हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हम संसार को बता रहे हैं कि हम संगठित नहीं हैं । अतः हमने इस भेदभाव को दूर करना है ।

यह स्वीकार करते हुए भी कि कुछेक गलतियां हुई हैं, जनता द्वारा अथवा सरकार द्वारा उन्हें सुलझाने में कुछ देर लगेगी । यदि आप समझते हैं कि इसमें भारत सरकार का दोष हैं तो उसे बदल दीजिये, परन्तु इस बात को सदा ध्यान में रखें कि भारत एक है और उसकी एकता की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है । यदि किसी से कोई गलती हुई है तो उसे शान्ति पूर्वक सुलझाया जाये ।

जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, उसके बारे में महाराष्ट्रीयों द्वारा दिये गये तर्क काफी ठोस हैं मैं उनसे इन्कार नहीं करता । परन्तु दूसरी ओर से दिये गये तर्क भी कम जोरदार नहीं हैं । परन्तु एक कठिन तथा टेढ़े मार्ग से होते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद मैं तो यही चाहता हूं कि इस प्रश्न का हल सोचते समय हमें आज की वर्तमान परिस्थितियों की पूर्ण रूपेण अपने ध्यान में रखना चाहिये । आखिर हम इसका निपटारा कैसे कर सकते हैं ? क्या हम इसके लिये हमेशा के लिये लड़ते जायें अथवा क्या हम परिस्थितियों को शान्त करके ठीक ढंग से इस पर विचार करें ? संविधान के अनुसार यह सभा जब भी किसी विषय पर विचार करना चाहे यह उस पर विचार कर सकती

। और इसके अलावा हम फिर यह भी कह रहे हैं कि हम इसको सीमित नहीं कर रहे हैं। हम इस निर्णय को बिलकुल अन्तिम निर्णय नहीं बना रहे हैं। यह विषय आगे के लिये भी खुला रहेगा। किन्तु इस दौरान में हमें इस प्रकार की सभी चीजें बन्द कर देनी चाहिये जैसी कि अब हो रहीं हैं।

मुझे अभी तक एक चीज नहीं ज्ञात हुई है। माननीय सदस्य श्री सी० डी० देशमुख जी ने उर्दू के शेर एक की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। मेरे विचार में यह पाकिस्तान के किसी शायर का शेर है।

†**श्री शं० शा० मोरे** (शोलापुर) : क्या कविता की भी कोई सीमाएं होती हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कविता की कोई सीमाएं नहीं होती हैं और न होनी ही चाहिये। किन्तु वास्तव में मुझे यह चीज समझ में नहीं आयी जब उन्होंने कहा—

"चूस लेते हैं खन, लूट लेते हैं बेवाओं का घर"

उनका क्या आशय था? मुझे समझ में नहीं आता कि इसका—विधवाओं का अपने घरों से वंचित किये जाने का—राज्य पुनर्गठन विधेयक से क्या सम्बन्ध है? क्या उन्हें यह सन्देह है कि भारत के कुछ भागों तथा—महाराष्ट्र, बम्बई, गुजरात अथवा अन्य कहीं पर इस प्रकार की कोई बात होने जा रही है? मुझे यह बिलकुल समझ में नहीं आया है और न मुझे यही समझ में आता है कि इस तर्क का समाजवादी ढंग के समाज से क्या सम्बन्ध है? मुझे ऐसा विदित होता है कि इनमें से अधिकतर कठिनाइयां तथा भ्रम किन्हीं निश्चित गलत धारणाओं के कारण है। जब आप के दिल में एक बार कोई गलत धारणा बन जाती है तब आपके मन में ऐसे ख्यालात उठते रहते हैं जिनका उस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। समाजवादी ढंग के समाज का उस सबसे क्या सम्बन्ध है? ऐसा कहा जाता है कि बम्बई के बारे में यह निर्णय बम्बई में कुछ लोगों को तुष्ट करने के लिये किया गया है। मैं अमीर अथवा गरीब आदमियों के दिलों के अन्दर नहीं झांक सकता हूं और मैं आपसे ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि यह निर्णय इस उद्देश्य से नहीं किया गया है जैसा कि लोग इसके बारे में कह रहे हैं। और फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि इस निर्णय से अथवा किसी अन्य निर्णय से उनका धन कैसे रक्षित हो सकता है। या दूसरे शब्दों में अगर बम्बई को महाराष्ट्र में मिला दिया जाता है तो उनका धन कैसे बर्बाद हो जायेगा? मुझे यह बात बिलकुल समझ में नहीं आ रही है। मेरे विचार में चाहे वे महाराष्ट्र में हों अथवा अन्यथा वे अपनी देखरेख खुद करने के काबिल हैं। उनके लिये इस बात से जरा भी भेद नहीं पड़ता है। हां यह हो सकता है कि सरकार की नीति का उनके ऊपर कुछ असर पड़े किन्तु यह एक सर्वथा भिन्न विषय है। किन्तु चाहे वे महाराष्ट्र में हों, चाहे गुजरात अथवा बम्बई में, उन की स्थिति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इन सब प्रश्नों पर इन बाहरी मामलों को हटाकर विचार किया जाये।

मैं अपने माननीय मित्र की भांति कविता के उद्धरण देने के झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूं किन्तु क्योंकि उन्होंने इस संबंध में बहुत कुछ कहा है अतः मैं भी आपको एक प्रसिद्ध शेर पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

श्री गाडगिल (पूना-मध्य) : यही तो बम्बई में हुआ है। हम को ऐसे ही बदनाम कर दिया गया है। जरा एन्क्वायरी (जांच) तो कीजिये कि बम्बई में क्या हुआ है। अगर कुछ एन्क्वायरी करेंगे, तो पता लगेगा कि अमृतसर में जो ओडायर ने किया था, वह उसके मुकाबले में कुछ नहीं था जो कि बम्बई में हुआ है।

†**श्री जयपाल सिंह** : सभा के नेता ने यह कहा है कि १४ भाषायें हमारी राष्ट्रीय भाषायें हैं। क्या उन्होंने जिन भाषा संबंधी परित्राणों का जिक्र किया है क्या वे परित्राण केवल इन १४ भाषाओं को ही उपलब्ध होंगे अथवा उनके अलावा भी किसी भाषा को?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** आप किन भाषाओं का निर्देश कर रहे हैं ?

†**श्री जयपाल सिंह :** आदिम जाति भाषाएं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारी वर्तमान नीति यह है कि उन्हें भाषा तथा शिक्षा दोनों दृष्टियों से अपनी अधिसूचनाओं आदि में प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाये ।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : मैंने प्रारम्भ से ही कहा था कि इस प्रकार के जटिल प्रश्न में हमें आयोग की ही रिपोर्ट को मान लेना चाहिये था । यदि हमने ऐसा कर लिया होता तो आज हमें अपने प्रधान मंत्री से यह न सुनना पड़ता कि हम इस संबंध में जो कुछ भी करते हैं वह सब कुछ गलत सिद्ध हो जाता है । हमने इस समस्या को हल करने की अपेक्षा और अधिक समस्यायें खड़ी कर ली हैं ।

वास्तव में ये सब समस्यायें हम राजनीतिज्ञों की खड़ी की हुई समस्यायें हैं । इस बात को आज श्री देशमुख और श्री पाटिल ने भी स्वीकार किया है । किन्तु मैं कहता हूं वे भी इस प्रकार का भ्रम बढ़ाने के भागी हैं । आज भारत में एक ही प्रकार की देशभक्ति रह गई है और वह है अपने प्रान्त की भक्ति । हम सब इस रोग से बुरी तरह पीड़ित हो रहे हैं ।

प्रारूप विधेयक पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई गई थी । मैं भी उसमें था । किन्तु मैं उसकी प्रक्रिया नहीं समझ सका । जब किसी समिति को कोई कार्य करना होता है तो उसे अपने सिद्धांत घोषित करने चाहिये ताकि उनके आधार पर कुछ निर्णय किये जा सकें । किन्तु इस समिति में ऐसा कुछ नहीं किया गया था । मैंने वहां पर यही देखा कि लोगों ने जो भाषण यहां दिये थे उन्हीं को वहां पर अधिकतर दोहराया गया । दूसरे वहां पर सचेतक भी बहुत सक्रिय थे । क्या ऐसी समितियों में भी सचेतकों आदि के सक्रिय रहने की कोई प्रथा है ?

फिर वहां पर मुख्य विवेच्य विषयों को भी बिलकुल नहीं छुआ गया । प्रधान मंत्री ने हमें यह बताया है कि उन्हें प्रधान मंत्री के नाते कुछ घोषणायें करने का अधिकार है । मैं कहता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है किन्तु दुख की बात तो यह है कि लोग यह समझने लगे हैं कि जब एक बार प्रधान मंत्री ने किसी बात की घोषणा कर दी तो फिर उस पर आगे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसमें उनका कोई कसूर नहीं है । उन्हें तो घोषणा करनी ही है । मैं उनको दोष नहीं देता हूं । किन्तु दोष इसमें उन लोगों का है जो यह समझते हैं कि प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद उन्हें आंखें मूंद लेनी चाहिये । अब उन्हें उस विषय पर और सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मैं निवेदन करता हूं कि जब तक देश में शांत वातावरण नहीं हो जाता है, हमें इन प्रस्तावों को एक ओर रख देना चाहिये । हमें आज यह सिद्ध कर दिखाना चाहिये कि हम किसी प्रांत को अन्त तक पहुंच कर भी वापस लौट सकते हैं । हम यह कहते हैं कि बम्बई को ५ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। मैं कहता हूं कि हम ही क्यों न ६ महीने तक और प्रतीक्षा कर लें । तब हम सारे मासले पर नये सिरे से विचार कर सकते हैं । आज हम लोगों में एक दूसरे के प्रति बड़ी शत्रुता, घृणा और सन्देह पैदा हो गये हैं । आज लोगों में कुछ ऐसी भावना सी आ गई है कि अगर दंगा फिसाद करके वह सरकार को अपनी बात मनवा लेंगे । ऐसे वातावरण में हमें अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिये ।

फिर हमारे सामने केवल बम्बई की ही समस्या नहीं है । हमारे सामने पंजाब का मसला है हमारे सामने बिहार का मसला है और फिर अनेकों छोटे छोटे विवादग्रस्त क्षेत्रों के मसले हैं । इस लिये हमें इस मामले को उस समय तक के लिये स्थगित कर देना चाहिये जब तक कि लोगों के उभड़े हुए विद्वेष शांत नहीं हो जाते हैं । आखिर हम सौ साल से भी अधिक अर्से से इस पुराने प्रबंध में ही रह रहे हैं । अगर हम कुछ साल तक और इसी प्रकार रह लेंगे तो कौन सा अनर्थ हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।